


छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर
Email :- henv.cg@nic.in

// आदेश //

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 23/12/2021
क्रमांक एफ 7-41/2021/32 :: राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 52 के उपनियम (1) में उल्लेखित न्यूनतम छोड़ी जाने वाली भूमि के संबंध में ऐसे प्रकरणों के निराकरण हेतु छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 73 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी करता है :-

“ छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 52 विद्युत लाईनो से दूरी में प्रावधानित नियमों का पालन करने की अनिवार्यता शर्तों के तहत लाईनों के नीचे छोड़ी जाने वाली बरामदा (कोरिडोर) बफर जोन भूमि को नियम 47 के तहत सामुदायिक खुले स्थान (Community Open Spaces) के रूप में अभिन्यास में शामिल किया जावे, साथ ही भारतीय विद्युत नियमों एवं उनमें समय-समय पर हुए संशोधन का पालन किया जाना अनिवार्य है। ”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(स. टी. की.)
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 23/12/2021

पृ. क्रमांक-एफ 7-41/2021/32


प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,
 2. विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय,
 - ✓ 3. संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रायपुर,
 4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़,
 5. समस्त जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़
 6. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,
 7. आदेश फोल्डर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

आवास एवं पर्यावरण विभाग
दिनांक 23 DEC 2021

संचालक नगर तथा ग्राम निवेश
नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)
दिनांक 23 DEC 2021

DR ADCS


उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग